

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1217/2021

दिनांक 29.05.2021

श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ (RJ0941), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक को दिनांक 20.04.2021 से 01.05.2021 तक 12 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 02.05.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री जाखड़ की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक / वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी. 2(4)/110/2015/ 3425

दिनांक : 29.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 3272 दिनांक 04.05.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ (RJ0941), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।

सहायक रजिस्ट्रार